**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.05.2026**

## थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में 01 स्नेचर घायल अवस्था सहित कुल 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार (अंतर्राज्यीय स्नेचर) व कब्जे से 01 देशी तंमचा .315 बोर चालू हालत मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर, व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अपराध में प्रयुक्त एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

**कार्यवाही का विवरण:-** आज दिनांक 08.05.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लूट एवं स्नैचिंग के अभियोगों के अनावरण व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व लूट – स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम डीएवी कट पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जा रही थी चैकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर सवार होकर वजीराबाद रोड की तरफ से डीएवी कट की तरफ आते दिखाई दिए। जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो नही रुके बल्कि पीछे मुड कर खेतान स्कूल ग्राउण्ड की पीछे वाली प्रेम गली सूनसान रास्ते की तरफ भागने लगे। हडबडाहट के कारण बदमाशो की मोटरसाईकिल अनियंत्रित होकर फिसलकर गिर गयी इतने मे मोटरसाइकिल पर पीछे बेठे व्यक्ति द्वारा अपने आप को पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में उक्त बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी हैं जबकि मोटरसाइकिल चालक अन्धेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। जिसे पुलिस पार्टी द्वारा कुछ दुरी पर पकड लिया गया व मौके पर ले आए। व उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा साहस का परिचय देते दोनो बदमाशो को समय करीब 02.30 बजे हिरासत में ले लिया गया। घायल अभियुक्त ने अपना नाम वरून उर्फ शेरू उर्फ गिरगिट पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी मकान नम्बर 2502 सैक्टर 12 सोनीपत हरियाणा उम्र 40 वर्ष बताया तथा दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम मो0 आमिर उर्फ खन्ना पुत्र मो0 कमरूद्दीन निवासी मकान नम्बर 2024 गली न0 23 न्यू मुस्तफाबाद दि्ल्ली उम्र 30 वर्ष बताया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त वरून को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। अभि0 वरून उर्फ शेरू उर्फ गिरगिट के पास से एक अदद अदद चोरी की स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल तथा मुठभेड में प्रयुक्त 01 देशी तंमचा .315 बोर चालू हालत मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर, व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है तथा अभियुक्त वरून की पहनी जीन्स की पेन्ट की बाई जेब से पीली धातू का एक लोकेट/पेण्डल बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध मे थाना शालीमार गार्डन पर मु0अ0स0 153/26 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है ,बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा मोटर साइकिल की चोरी के सम्बन्ध मे थाना दयालपुर दिल्ली पर मु0अ0सं0 9912/2026 धारा 303(2) बीएनएस दिनांक 02.05.2026 को पंजीकृत है। मुठभेड के सम्बंध में थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पुछताछ का विवरण:-** अभियुक्तगण वरून व मो0 आमिर द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि हम दोनो दिल्ली, पानीपत, सोनीपत (हरियाणा), उत्तराखण्ड , उत्तरप्रदेश मे कार द्वारा स्नेचिंग आदि घटना करने के उद्देश्य से जाते है व कार को पार्किंग मे खडा करके। उसी क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी कर लेते है व दोनो लोग हेलमेट लगा कर आने-जाने वाले व्यक्तियो से कान के कुण्डल व चैन आदि छिन लेते है। तथा रास्ते मे ही अपने-अपने कपडे बदल लेते है। जिससे की हमारी पहचान छुपी रहे व कुछ देर चोरी की मोटरसाईकिल पर घूमने के पश्चात उसे रास्ते मे खडी कर अपनी गाडी को पार्किग से लेकर वापस आ जाते है। अगली बार स्नेचिंग मे दूसरी चोरी की मोटरसाईकिल का इस्तेमाल करते है। तथा लोगों को डराने व अपनी रक्षा के अवैध असलहों के प्रयोग करते हैं। छिनेती की घटना करने के कारण हमे

उत्तराखण्ड , दिल्ली व हरियाणा मे कई बार जेल भी गये है। अभि0गण वरूण व मो0 आमिर उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 23/04/2026 को भाटी चौक गणेशपुरी के पास से एक महिला से चैन छिनने का प्रयास किया था जिसमे से लोकिटनुमा पैण्डल हमारे हाथ आ गया था जोकि हमने आपको बरामद करा दिया है। साहब आज भी हम दोनों राजेन्द्र नगर मे स्नेचिंग हेतू सोफ्ट टारगेट की तलाश में थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता:-**

1. वरून उर्फ शेरू उर्फ गिरगिट पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी मकान नम्बर 2502 सैक्टर 12 सोनीपत हरियाणा उम्र 40 वर्ष।
2. मो0 आमिर उर्फ खन्ना पुत्र मो0 कमरूद्दीन निवासी मकान नम्बर 2024 गली न0 23 न्यू मुस्तफाबाद दि्ल्ली उम्र 30 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. 1 देशी तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर, व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. एक चोरी की मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रजि0 नम्बर DL5SCQ3048।
3. मु0अ0स0 153/26 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक पीली धातु का लोकेटनुमा पेनडेन्ट बरामद होना।

**गिरफ्तार अभियुक्त वरून उर्फ शेरू उर्फ गिरगिट का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 526/2024 धारा 304(2)/(3)/5 BNS थाना पश्चिम विहार दिल्ली
2. मु0अ0स0 170/24 धारा 304(2) /3(5) बीएनएस थाना कनोट पैलेस दिल्ली
3. मु0अ0स0 85/24 धारा 304(2)/3(5) बीएनएस थाना मन्दिर मार्ग दिल्ली
4. मु0अ0स0 354/2020 धारा 356/379/34 भादवि थाना मन्गोलपुरी दिल्ली
5. मु0अ0स0 310/2020 धारा 356/379/34 भादवि थाना रानीबाग दिल्ली
6. मु0अ0स0 417/2010 धारा 356/379/34 भादवि थाना के.एन काटजू मार्ग दिल्ली
7. मु0अ0स0 8/2011 धारा 356/379/34 भादवि थाना प्रसाद नगर दिल्ली
8. मु0अ0स0 551/2010 धारा 392/34 भादवि थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
9. मु0अ0स0 315/2010 धारा 379/356/34 भादवि थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
10. मु0अ0स0 139/ 2010 धारा 356/379/34 भादवि थाना के.एन काटजू मार्ग दिल्ली
11. मु0अ0स0 26/2010 धारा 356/379/411 भादवि थाना पश्चिम विहार ईस्ट दिल्ली
12. मु0अ0स0 431/2010 धारा 379/356/34 भादवि थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
13. मु0अ0स0 520/2010 धारा 379/356/34 भादवि थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
14. मु0अ0स0 294/2010 धारा 379/356/34 भादवि थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
15. मु0अ0स0 191/2010 धारा 379/356/34 भादवि थाना नोर्थ रोहिणी दिल्ली
16. मु0अ0स0 207/2010 धारा 356/379/34 भादवि थाना नोर्थ रोहणी दिल्ली
17. मु0अ0स0 269/2010 धारा 379/356/34 भादवि थाना नोर्थ रोहणी दिल्ली
18. मु0अ0स0 478/2010 धारा 392/34 भादवि थाना सुभाष पैलेश दिल्ली
19. मु0अ0स0 352/2010 धारा 356/379/411/34 भादवि थाना शालीमार बाग दिल्ली
20. मु0अ0स0 551/2010 धारा 3 macoca act थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
21. मु0अ0स0 475/2010 धारा 356/379/34 भादवि थाना प्रशान्त विहार दिल्ली
22. मु0अ0स0 307/2010 धारा 356/379/34 भादवि थाना नोर्थ रोहिणी दिल्ली
23. मु0अ0स0 347/2010 धारा 356/379/34 भादवि थाना नोर्थ रोहिणी दिल्ली

24. मु0अ0स0 123/2010 धारा 356/379/34 भादवि थाना करोल बाग दिल्ली
25. मु0अ0स0 145/2010 धारा 356/379/34 भादवि थाना करोल बाग दिल्ली
26. मु0अ0स0 394/2010 धारा 356/379/34 भादवि थाना के.एन. काटडू मार्ग दिल्ली
27. मु0अ0स0 153/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद
28. मु0अ0स0 168/26 धारा 109(1)/317(2)/317(5)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद

**गिरफ्तार अभियुक्त मो0 आमिर उर्फ खन्ना का आपराधिक इतिहास:-**

1. Dd no 120 A/2019 धारा 41.1 (d) /102 crpc थाना भजनपुरा दिल्ली
2. E- 24108/2019 धारा 379/411 भादवि थाना भजनपुरा दिल्ली
3. मु0अ0स0 285/2025 धारा 304(2) /3(5) बीएनएस थाना भजनपुरा दिल्ली
4. ई-एफआईआर 31404/2023 धारा 379/411 भादवि थाना गोकुलपुरी दिल्ली
5. ई-एमवीटी 2458/2020 धारा 379/411 भादवि थाना दयालपुर दिल्ली
6. मु0अ0स0 397/2022 धारा 25/54/59 आमर्स एक्ट थाना दयालपुर दिल्ली
7. मु0अ0स0 655/2023 धारा 392/411 भादवि थाना दयालपुर दिल्ली
8. मु0अ0स0 656/23 धारा 392/411 भादवि थाना दयालपुर दिल्ली
9. मु0अ0स0 018116/2025 धारा 305B बीएनएस थाना भजनपुरा दिल्ली
10. मु0अ0स0 449/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस व 106 बीएनएसएस थाना ज्योति नगर दिल्ली
11. मु0अ0स0 248/2025 धारा 304(2) /317(2) बीएनएस थाना दयालपुर दिल्ली
12. मु0अ0स0 344/2025 धारा 304(2) /317(2) बीएनएस थाना भजनपुरा दिल्ली
13. मु0अ0स0 153/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद
14. मु0अ0स0 168/26 धारा 109(1)/317(2)/317(5)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद

**नोट:-** अभियक्तगण वरून व मो0 आमिर के विरूद्ध अन्य राज्यो मे पंजीकृत अभियोगो के बारे मे जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

**थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग की हुई पीली धातु की चैन व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण:-** दिनांक 06.05.26 को वादिया श्रीमती आशी वर्मा ने थाना लिंकरोड़ पर लिखित तहरीर दी और बताया कि 03.05.26 को शाम के समय करीब 06.30 बजे जब मैं सिटी सैन्टर मार्केट मे खरीदारी करते समय फलो के ढेले के पास से दो लडके अपनी एफजेड बाइक पर तेज़ी से आये और मेरी सोने की चेन गले से खींच कर ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर धारा 304(2) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 08.05.26 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रामपुरी रेलवे लाईन के

पास से  02 अभियुक्त 1.आशिम पुत्र असफाक हाल निवासी एल 111 गली नम्बर 01, सुंदर नगरी थाना नंद नगरी दिल्ली मूल निवासी गांव करसाना कमालपुर थाना कोतवाली अमापुर जिला कासगंज उम्र करीब वर्ष 2. रिजवान पुत्र जहीर अहमद हाल निवासी किराये के मकान में ओ/ 411 सुंदर नगरी थाना नंद नगरी दिल्ली मूल निवासी मौहल्ला कटरा सिकद्राराऊ जिला हाथरस उम्र करीब वर्ष गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से स्नैचिंग की हुई पीली धातु की चैन व घटना में प्रयुक्त चोरी की मो0सा0 बरामद कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारे द्वारा दिनांक 03.05.2026 को चौकी क्षेत्र सूर्यनगर में चैन स्नैचिंग की घटना की गयी थी तथा दिनांक 02.05.26 को शालीमार गार्डन क्षेत्र से बाईक चोरी की गयी से घटना को अंजाम दिया। आज हम इस चैन को बेचने जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-**

1. आशिम पुत्र असफाक हाल निवासी एल 111 गली नम्बर 01, सुंदर नगरी थाना नंद नगरी दिल्ली मूल निवासी गांव करसाना कमालपुर थाना कोतवाली अमापुर जिला कासगंज उम्र करीब 26 वर्ष।
2. रिजवान पुत्र जहीर अहमद हाल निवासी किराये के मकान में ओ/ 411 सुंदर नगरी थाना नंद नगरी दिल्ली मूल निवासी मौहल्ला कटरा सिकद्राराऊ जिला हाथरस उम्र करीब 27 वर्ष।

**बरामदगी का विवरणः-**

- स्नैचिंग की हुई पीली धातु की चैन व घटना में प्रयुक्त चोरी की मो0सा0 बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त के गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने लूट स्नैचिंग के 4 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

## साइबर सेल,थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 50,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 13.04.2026 को साइबर सेल थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा शिकायतकर्ता चुन्नीलाल कामत पुत्र श्री मनसीफ कामत निवासी हर्ष विहार गली नं0-05 थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए ऑनलाइन ठगी के सम्बन्ध में धनराशि 50,000/- रुपये की ऑनलाइन NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या-33104260081433 प्राप्त हुई। उक्त सम्बन्ध में दिनांक 07.05.2026 को साइबर सेल थाना टीला मोड़ द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता से किये गये फ्राड की कुल धनराशि 50,000/- रूपये को वापस कराई गई।

## कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता चुन्नीलाल कामत पुत्र श्री मनसीफ कामत निवासी हर्ष विहार गली नं0-05 थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ कुल 50,000/- रूपये की ऑनलाइन वित्तीय ठगी से सम्बन्धित शिकायत संख्या- 33104260081433 प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता चुन्नीलाल कामत उपरोक्त के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की संपूर्ण धनराशि 50,000/- रूपये को सम्बन्धित बैंको से पत्राचार कर अथक प्रयासों के बाद दिनांक 07.05.2026 को शिकायतकर्ता चुन्नीलाल कामत उपरोक्त को वापस कराई गई।

## कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

## कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक निरी0 श्री मुनेन्द्र सिंह तत्कालीन थाना नन्दग्राम द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत् समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 323/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त अयान उर्फ लक्की पुत्र मौ0 रफीक निवासी-आदर्श नगर थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 08.05.2026 को धारा-376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **श्री उत्कर्ष वत्स**<br>विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) | **मु0आ0 सतकुमार**<br>पैरोकार कन्विक्शन सेल | **म0आ0 पूनम राणा**<br>पैरोकार थाना नन्दग्राम |

## थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा पुलिस के नाम पर अवैध उगाही करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**कार्यवाही एंव घटना का विवरण:** दिनांक 07.05.2026 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर, पुराना बस अड्डा के पास रेहड़ी-पटरी वालों को पुलिस का भय दिखाकर पुलिस के नाम पर अवैध उगाही करने वाले 01 शातिर अभियुक्त ललित कुमार को निर्माणाधीन पुराना बस अड्डा (संतोष मेडिकल के सामने) से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध उगाही के 1500/- रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:** पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मै घूकना मोड़, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद का निवासी हूँ। कोई काम-धंधा न होने के कारण मैं रेहड़ी-पटरी वालों से पुलिस के नाम पर पैसों की अवैध उगाही करता हूँ। जो व्यक्ति डरकर पैसे दे देता है, उससे पैसे लेकर मैं अपने पास रख लेता हूँ तथा इन्हीं पैसों से अपना खर्च चलता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:** ललित कुमार पुत्र स्व. जयकिशन, निवासी- घूकना मोड़, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण:**

अवैध उगाही के 1500/- रुपए नकद।

**गिरफ्तार करने वाली टीम:**

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम।

## थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 07.05.2026 को थाना निवाड़ी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि बाल अपचारी द्वारा वादिया के पति के पेट में गोली मारकर भाग जाना जिससे वादिया के पति का गम्भीर रुप से घायल हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार थाना निवाड़ी पर तत्काल सुसंगत धारा 109(1)

बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण –**

बाल अपचारी ने पूछताछ करने पर बताया कि मजरूब/घायल मेरा दूर का रिश्तेदार है जो मेरठ में ही रहकर नौकरी करता है, वह आये दिन मुझे व मेरे परिजनों को बदनाम करने के इरादे से परेशान करता था इसी बात से तंग आकर मैंने यह घटना कारित कर दी थी।

**बरामदगी का विवरण-**

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

**अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –**

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना निवाड़ी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-**

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

## थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 08.05.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त रहीम पुत्र अब्दुल रशीद निवासी चमन विहार निकट अब्दुल्ला मस्जिद थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नॉर्थ दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल करीब 08-09 महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी और इसे अभी तक छिपा कर रखा था। आज मैं इसे बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**
रहीम पुत्र अब्दुल रशीद निवासी चमन विहार निकट अब्दुल्ला मस्जिद थाना अंकुर विहार, गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष ।
**बरामदगी का विवरण-**
कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद ।
**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**
उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना कोतवाली नॉर्थ दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।
**गिरफ्तार करने वाली टीम-**
थाना अंकुर विहार पुलिस टीम ।

## गाजियाबाद पुलिस की मानवीय पहल: 02 वर्षों से लापता मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सकुशल परिवार से मिलाया ।

**श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण महोदय गाजियाबाद के कुशल निर्देशन व थाना प्रभारी श्री अजय चौधरी के नेतृत्व में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान थाना मसूरी पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है । पुलिस टीम ने दो साल से अपने परिवार से बिछड़े एक युवक को बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया ।**

**विवरण-** थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत चौकी निगरावटी के प्रभारी श्री अभिलाष सिंह सेंगर अपनी टीम के साथ ग्राम आकलपुर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग कर रहे थे । इसी दौरान उन्हें एक युवक संदिग्ध अवस्था में भटकता हुआ मिला । पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम अभिनंदन बताया अन्य कुछ नही बता पाया । उसके बाद भटके हुए युवक को भरोसा व सांत्वना देकर बार – बार पूछने का प्रयास किया तो उसने अपना गांव का नाम महेशपुर व जिला धनबाद (झारखंड) बताया । इसके बाद ग्रामवासीयों व थानों से सम्पर्क करके अभिनन्दन के परिवार से सम्पर्क किया । पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि अभिनंदन मानसिक रूप से कुछ कमजोर है । वह लगभग 02 वर्ष पूर्व रोजगार की तलाश में गुजरात गया था, जहाँ से वह कुम्भ स्नान के लिए प्रयागराज चला गया । मानसिक अस्वस्थता के कारण वह वहां से रास्ता भटक गया और पिछले दो सालों से अलग-अलग स्थानों पर भटकता रहा, लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंच सका ।

**परिजनों से मिलन-** चौकी प्रभारी अभिलाष सिंह सेंगर व उनकी टीम ने अथक प्रयासों से युवक द्वारा बताए गए पते के आधार पर झारखंड पुलिस और स्थानीय लोगों से संपर्क साधा । कड़ी मशक्कत के बाद युवक के परिजनों का पता लगाया गया । सूचना मिलने के उपरान्त अभिनंदन के पिता श्री दशरथ प्रसाद तिवारी और जीजा रामअवतार चौबे थाना मसूरी पहुंचे । पुलिस टीम ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद युवक को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया ।

**परिजनों की प्रतिक्रिया-** दो साल बाद अपने बेटे को जीवित और सुरक्षित पाकर परिजनों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस का आभार व्यक्त किया।

**पुलिस टीम-**
थाना मसूरी पुलिस टीम।

## कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 01 लाख 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री मुकेश सोलंकी तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना मुरादनगर द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री सतीश कुमार शर्मा द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 363/377/376ए/376एबी/302/201 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त विशाल पुत्र वीरेश त्यागी उर्फ लीलू निवासी ग्राम खरजीवनपुर खिमावती थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-02 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 08.05.2026 को धारा- 6 पॉक्सो अधि0 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त द्वारा वादी की भतीजी उम्र 04 वर्ष को बहलाफुसलाकर अपने साथ खण्डहर जगह में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक एवं बलात्संग जैसा घिनौना कृत्य कारित कर हत्या करके शव को छिपा देने के सम्बन्ध में दिनांक 20.04.2024 को थाना मुरादनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **श्री सतीश कुमार शर्मा**<br>विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) | **म0मु0आ0 प्रवेशपाल**<br>पैरोकार कन्विक्शन सेल | **आरक्षी अरुण कुमार**<br>पैरोकार थाना मुरादनगर |